

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ

प्रेस नोट संख्या-191

प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन में हटाये जा रहे पोस्टर,
बैनर व अन्य प्रचार सामग्री

आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से
अब तक कुल 1,25,88,952 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी

वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 1277 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट के
उल्लंघन के 2193 मामलों में हुई कार्यवाही

बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को नकदी बांटने, वाहनों में बीकन
लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग व अन्य मामलों में 102 एफआईआर दर्ज

दिनांक 28 अप्रैल, 2024 लखनऊ

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने में अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 1,25,88,952 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 76,91,583 तथा निजी स्थानों से 48,97,369 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों से वालराइटिंग के 8,45,509, पोस्टर के 35,50,888, बैनर के 21,63,970 एवं अन्य 11,31,216 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार निजी स्थानों में से वालराइटिंग के 6,67,093, पोस्टर के 22,55,441 बैनर के 12,13,389 एवं अन्य 7,61,446 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार अब तक वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 1277 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2193 मामलों में कार्यवाही की गयी। बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों में 102 एफआईआर दर्ज, 06 एनसीआर सहित कुल 108 प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज की गयी है।